लेकिन उक्त जल बिलो के संबंध में दिए गए आवेदन पत्र की प्रति पेश नही की है उक्त दस्तावेजात बाबत प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कथन किया है कि उक्त पानी के बिलो में जो सेवा कमांक अंकित है इस संबंध में वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि जलदाय विभाग से जो दस्तावेजात लिए है। उन्होने जानकारी दी है कि उक्त कनेक्शन बाबत वादी ने कोई आवेदन नही किया ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात मूल होने से रिकॉर्ड पर लिए जाते है लेकिन वादी अधिवक्ता को उक्त दस्तावेजात की हद तक रिबीटल में दस्तावेजात पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन व तथ्यो तथा परिस्थितियो को देखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आंशिक दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जाते है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 28/3/2026 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

28.3.2026

प्रकरण पक्षकारान उप.
प्रतिवादीगण संख्या 3 उपस्थित, प्रतिवादी अधिवक्ता मुबारक अली की पत्नि अस्पताल में एडमिट होने से अधिवक्ता हेतु प्रकरण पक्षकारान ने वास्ते प्रतिवादी हेतु अवसर चाहा न्यायहित में अवसर।

मुबारक अधिवक्ता की पत्नि अस्पताल में एडमिट होने से अवसर चाहा
(हस्ताक्षर)

e	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of co... of the Or...
	दीपा गर्ग, प्रकरण पुराना होकर 2012 से लंबित है पुराने प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निराकरण के आदेश है। अतः पक्षकार समस्त प्रतिवादी हेतु गवाह को उपस्थित रखें। गवाहों बाबत साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 2-5-2026 को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश [illegible], जिला डीडवाना-कुचामन	